BCCI BULLETIN

Vol. 55 | June 2024 | No. 06

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

नरेन्द्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सम्भाली देश की बागडोर

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर उन्हें एवं उनके मंत्रीमंडल के मंत्रीगणों को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से तथा बिहार के समस्त व्यवसायियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, बधाई एवं शुभकामनाएँ।

– सुभाष पटवारी, अध्यक्ष

THE UNION COUNCIL OF MINISTERS WITH PORTFOLIOS

(Sworn in on 09.06.2024)

Shri Narendra Modi	**Prime Minister and also in-charge of :** Ministry of personnel, Public Grievances and Pensions; Departmen of Atomic Energy; Department of space; All important policy issues; and All other portfolios not allocated to any Minister.

CABINET MINSTERS

1	Shri Raj Nath Singh	Minister of Defence.
2	Shri Amit Shah	Minister of Home Affairs; and Minister of Cooperation.
3	Shri Nitin Jairam Gadkari	Minister of Road Transport and Highways.
4	Shri Jagat Prakash Nadda	Minister of Health and Family Welfare; and Minister of Chemicals and Fertilizers.

(शेष पृष्ठ 3 पर)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

केन्द्र में नयी सरकार का गठन हो चुका है। माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लागतार तीसरी बार प्रधान मंत्री के रूप में देश की बागडोर सम्भाली है। उनके साथ शपथ लेने वाले कई मंत्रीगण भी हैं। माननीय प्रधान मंत्री, सभी माननीय मंत्रियों तथा सभी लोक सभा सांसदों को मैं अपनी ओर से एवं आप सभी व्यवसायी बन्धुओं की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।

केन्द्र की नयी सरकार से हमारी मांग है कि बिहार जैसे औद्योगिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य के उन्नति पर विशेष कृपा की जाये क्योंकि बिहार के विभाजन के पश्चात् राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का आभाव हो गया है एवं राज्य के सीमित संसाधनों से बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्थान सम्भव नहीं है। औद्योगिक उत्थान के बिना राज्य की उन्नति हेतु दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए विशेष इन्सेटिव देने का प्रावधान करें या विशेष फंड बनायें क्योंकि राज्य सरकार के संसाधन पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार के बजट से नये निवेशकों को विशेष इंसेटिव देना सम्भव नहीं है। जिस प्रकार अन्य स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों के निवेशकों को वाणिज्य–कर, आयकर, एक्साइज टैक्स एवं अन्य करों में छूट का प्रावधान है, उसी प्रकार बिहार में ऐसे छूट का प्रावधान किया जाये ताकि अधिकाधिक निवेशक बिहार में अपनी औद्योगिक इकाई लगाने के लिए आगे आयें। नये उद्योग लगेंगे तो राज्य में रोजगार सृजन होगा, राजस्व में वृद्धि होगी एवं जीडीपी बढ़ेगा।

GST लागू होने के बाद भी कई प्रकार के करों का बोझ व्यवसायियों पर है जैसे– लेबर लाइसेंस, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्रोविडेंट फंड, नगर निगम ट्रेड लाइसेंस, FSSAI, माप–तौल, फायर लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, प्रोफेसनल टैक्स, मिनरल लाइसेंस, वाटर लाइसेंस, प्रदूषण लाइसेंस आदि जिसे केन्द्र सरकार को समाप्त करना चाहिए। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि यदि इसे समाप्त करना सम्भव नहीं है तो इसमें नवीनीकरण का जो प्रावधान है, उसे समाप्त कर एक मुश्त राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि व्यवसायी को राहत मिले।

इसके अतिरिक्त उत्तर बिहार को गैस पाइप लाइन से जोड़ा जाना चाहिए। प्रत्यक्ष कर के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 BAB के तहत नयी विनिर्माण कम्पनियों को आयकर में रियायतें दी जानी चाहिए। वहीं संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसम्बर है, इसलिए संशोधित रिटर्न के लिए समय सीमा को 31 मार्च तक विस्तारित किया जाना चाहिए। साथ ही वास्तविक भुगतान के आधार पर विलम्बित भुगतानों की कटौती से बचने के लिए MSME की पहचान करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का समाधान किया जाना चाहिए। राज्य के 26 जिलों में लगने वाले नये उद्योगों के लिए पूर्व में आयकर अधिनियम के तहत तीन से पॉच साल के लिए आयकर में मिलने वाली छूट को पुनर्बहाल किया जाना चाहिए।

पन्द्रह साल और इससे अधिक पुराने वाहनों को नष्ट करने के लिए बख्तियारपुर में स्क्रैप सेंटर चालू हो गया है। इसके अलावा पटना सिटी, बाढ़ और बिहटा में में एक–एक स्क्रैप सेंटर शीघ्र ही खुलेगा। पटना में दो लाख से अधिक वैसे वाहन हैं जो 15 साल या उससे अधिक पुराने हैं। ऐसे वाहनों को स्क्रैप सेंटर में ले जाकर नष्ट करा सकते हैं। नष्ट कराने के बाद वाहनों के वैल्यू के अनुसार राशि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नयी गाड़ी की खरीद पर 5 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। नयी गाड़ी पर लगने वाली निबंधन शुल्क भी नहीं देनी पड़ेगी। दरअसल, परिवहन विभाग ने स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी है। **इस पॉलिसी के लागू होने से बिहार चैम्बर की लंबित मांग की पूर्ति हुई है।**

आपको विदित है कि MSME के कार्यशील पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए 45 दिनों के भीतर खरीदारी के भुगतान को अनिवार्य किया गया है। इस नियम के तहत 45 दिनों के भीतर खरीदारी का भुगतान नहीं होने पर वह राशि खरीदार की आय में जुड़ जायेगी और उन्हें उस पर टैक्स भरना होगा।

उक्त भुगतान के सम्बन्ध में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की दिनांक 12 जून, 2024 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। इसमें कुछ सदस्यों का कहना था कि यह नियम आपूर्तिकर्त्ताओं एवं खरीदारों के बीच के सम्बन्धों को प्रभावित कर रहा है। कुछ का मंतव्य था कि इस नियम को MSME को समय पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

अतः सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आपका क्या मंतव्य है उससे यथाशीघ्र चैम्बर को चैम्बर के email – bccpatna@gmail.com या Whats App No. 7667765234 पर अवगत कराने की कृपा करें ताकि तद्नुसार चैम्बर अग्रेतर कार्रवाई कर सके।

चैम्बर ने हाजीपुर इंडस्ट्रीयल एरिया में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए SGST का मुख्यालय सारण (छपरा) किये जाने से हो रही असुविधा की ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट किया था। हर्ष की बात है कि हाजीपुर अंचल के क्षेत्राधिकार में आने वाले कर–दाताओं / उद्यमियों के अंकेक्षण (Audit) का कार्य हाजीपुर में ही करने का आदेश वाणिज्य कर विभाग द्वारा दिया गया है। उक्त आदेश की प्रति सदस्यों को उनके email/WhatsApp पर सूचनार्थ प्रेषित की गयी है ।

यदि आपके पास अतिरिक्त जगह है और आप सोलर पावर प्लांट लगाने के इच्छुक हों तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस पर सरकार द्वारा Subsidy का भी प्रावधान है। इसकी विस्तृत जानकारी स्थानीय दैनिक भास्कर दिनांक 19 जून, 2024 में प्रकाशित है। दैनिक भास्कर की वह प्रकाशित सूचना सदस्यों को उनके email/whatsapp पर भेजी जा चुकी है ।

पटना जीपीओ में अत्याधुनिक अंतर राष्ट्रीय व्यवसाय केन्द्र 26 जून 2024 को खुला है। इस केन्द्र में अंतरराष्ट्रीय डाक पार्सल और डाक वस्तुओं का निष्पादन होगा। यह राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें अतिशीघ्र ही कस्टम अधीक्षक और निरीक्षक नियमित सेवा देंगे। पहले दिल्ली और कोलकाता में कस्टम क्लियरेंस मिलने के बाद विदेश जाने वाला डाक आर्टिकिल देश से बाहर जाता था। अब पटना में ही IBC से ही क्लियरेंस मिल जायेगा। इस केन्द्र के चालू होने से बिहार के व्यवसायी समुदाय को वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अनूठा अवसर मिलेगा। साथ ही Export/Import में भी सुविधाएं मिलेगी।

बन्धुओं, चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने 15 जून 2024 को श्री सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री से मिलकर राज्य के उद्योगों को अपनी इकाईयों को PNG और CNG में परिवर्त्तन में आ रही कठिनाईयों से अवगत कराते हुए आग्रह किया कि राज्य में PNG & CNG पर वैट की दर 20 प्रतिशत है जो काफी अधिक है। कई राज्यों ने अपने यहॉ उद्योगों के लिए PNG & CNG पर वैट दर को घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया है। अतः बिहार में भी वैट दर को कम किया जाए। इसके साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री से राज्य के व्यवसायियों के साथ चैम्बर प्रांगण में बैठक हेतु पधारने का अनुरोध किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने शीघ्र ही समय देने का आश्वासन दिया है।

बन्धुओं, चैम्बर की जो अन्य गतिविधियॉ हुई हैं उसकी जानकारी इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

सादर,

आपका

सुभाष पटवारी

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

5	Shri Shivraj Singh Chouhan	Minister of Agriculture and Farmers Welfare; and Minister of Rural Development.
6	Smt. Nirmala Sitharaman	Minister of Finance; and Minister of Corporate Affairs.
7	Dr. Subrahmanyam Jaishankar	Minister of External Affairs.
8	Shri Manohar Lal	Minister of Housing and Urban Affairs; and Minister of Power.
9	Shri H. D. Kumaraswamy	Minister of Heavy Industries; and Minister of Steel.
10	Shri Piyush Goyal	Minister of Commerce and Industry.
11	Shri Dharmendra Pradhan	Minister of Education.
12	Shri Jitan Ram Manjhi	Minister of Micro, Small and Medium Enterprises.
13	Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh	Minister of Panchayati Raj; and Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
14	Shri Sarbananda Sonowal	Minister of Ports, Shipping and Waterways.
15	Dr. Virendra Kumar	Minister of Social Justice and Empowerment.
16	Shri Kinjarapu Rammohan Naidu	Minister of Civil Aviation.
17	Shri Pralhad Joshi	Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and Minister of New and Renewable Energy.
18	Shri Jual Oram	Minister of Tribal Affairs.
19	Shri Giriraj Singh	Minister of Textiles.
20	Shri Ashwini Vaishnaw	Minister of Railways; Minister of Information and Broadcasting and Minister of Electronics and Information Technology.
21	Shri Jyotiraditya M. Scindia	Minister of Commuications; and Minister of Development of North Eastern Region.
22	Shri Bhupender Yadav	Minister of Environment, Forest and Climate Change.
23	Shri Gajendra Singh Shekhawat	Minister of Culture; and Minister of Tourism.
24	Smt. Annpurna Devi	Minister of Women and Child Development
25	Shri Kiren Rijiju	Minister of Parliamentary Affairs; and Minister of Minority Affairs.
26	Shri Hardeep Singh Puri	Minister of Petroleum and Natural Gas
27	Dr. Mansukh Mandaviya	Minister of Labour and Employment ; and Minister of Youth Affairs and Sports
28	Shri G. Kishan Reddy	Minister of Coal ; and Minister of Mines.
29	Shri Chirag Paswan	Minister of Food Processing Industries.
30	Shri C R Patil	Minister of Jal Shakti.

MINISTERS OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)

1	Rao Inderjit Singh	Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation; Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Planning; and Minister of State in the Ministry of Culture.
2	Dr. Jitendra Singh	Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Science and Technology;

		Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Earth Sciences; Minister of State in the Prime Minister's Office; Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; Minister of State in the Department of Atomic Energy; and Minister of State in the Department of Space.
3	Shri Arjun Ram Meghwal	Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Law and Justice and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.
4	Shri Jadhav Prataprao Ganpatrao	Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Ayush; and Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare.
5	Shri Jayant Chaudhary	Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Skill Development and Enterpreneurship; and Minister of State in the Ministry of Education.

MINISTERS OF STATE

1	Shri Jitin Prasada	Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry; and Minister of State in the Ministry of Electronics and Information Technology.
2	Shri Shripad Yesso Naik	Minister of State in the Ministry of Power; and Minister of State in the Ministry of New and Renewable Energy.
3	Shri Pankaj Chaudhary	Minister of State in the Ministry of Finance.
4	Shri Krishan Pal	Minister of State in the Ministry of Cooperation.
5	Shri Ramdas Athawale	Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowement
6	Shri Ram Nath Thakur	Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
7	Shri Nityanand Rai	Minister of State in the Ministry of Home Affairs.
8	Shri Anupriya Patel	Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare; and Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers.
9	Shri V. Somanna	Minister of State in the Ministry of Jal Skakti; and Minister of State in the Ministry of Railways.
10	Dr. Chandra Sekhar Pemmasani	Minister of State in the Ministry of Rural Develoment and Minister of State in the Ministry of Communications.
11	Prof. S. P. Singh Baghel	Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; and Minister of State in the Ministry of Panchayati Raj.
12	Sushri Shobha Karandlaja	Minister of State in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; and Minister of State in the Ministry of Labour and Employment.
13	Shri Kirtivardhan Singh	Minister of State in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change; and Minister of State in the Ministry of External Affairs.
14	Shri B. L. Verma	Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution; and Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment.
15	Shri Shantanu Thakur	Minister of State in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.
16	Shri Suresh Gopi	Minister of State in the Ministry of Petroleum and Natural Gas; and Minister of State in the Ministry of Tourism.
17	Dr. L. Murugan	Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting; and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.

18	Shri Ajay Tamta	Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways
19	Shri Bandi Sanjay Kumar	Minister of State in the Ministry of Home Affairs
20	Shri Kamlesh Paswan	Minister of State in the Ministry of Rural Develoment
21	Shri Bhagirath Choudhary	Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
22	Shri Satish Chandra Dubey	Minister of State in the Ministry of Coal; and Minister of State in the Ministry of Mines.
23	Shri Sanjay Seth	Minister of State in the Ministry of Defence.
24	Shri Ravneet Singh	Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries; and Minister of State in the Ministry of Railways.
25	Shri Durgadas Uikey	Minister of State in the Ministry of Tribal Affairs.
26	Smt. Raksha Nikhil Khadse	Minister of State in the Ministry of Youth Affairs and Sports.
27	Shri Sukanta Majumdar	Minister of State in the Ministry of Education; and Minister of State in the Ministry of Development of North Eastern Region.
28	Smt. Savitri Thakur	Minister of State in the Ministry of Women and Child Development.
29	Shri Tokhan Sahu	Minister of State in the Ministry of Housing and Urban Affairs.
30	Shri Raj Bhushan Choudhary	Minister of State in the Ministry of Jal Shakti.
31	Shri Bhupathi Raju Srinivasa Varma	Minister of State in the Ministry of Heavy Industries; and Minister of State in the Ministry of Steel.
32	Shri Harsh Malhotra	Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs; and Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways.
33	Smt. Nimuben Jayantibhai Bambhaniya	Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
34	Shri Murlidhar Mohol	Minister of State in the Ministry of Cooperation; and Minister of State in the Ministry of Civil Aviation.
35	Shri George Kurian	Minister of State in the Ministry of Minority Affairs ; and Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.
36	Shri Pabitra Margherita	Minister of State in the Ministry of External Affairs; and Minister of State in the Ministry of Textiles.

बिहार को मिले पॉलिसी पैकेज : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे गये बजट पूर्व ज्ञापन में राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए कई मांगें की गयी हैं। चैम्बर के अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने बताया कि निवेश को आकर्षित करने एवं दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा करने में बिहार सक्षम नहीं हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या पूर्वोत्तर क्षेत्र की नीति के पैटर्न पर बिहार के लिए भी पॉलिसी पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। उत्तर बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाना चाहिए।

श्री पटवारी ने बताया कि प्रत्यक्ष कर के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएबी के तहत नयी विनिर्माण कंपनियों को आयकर में रियायतें दी जानी चाहिए। वहीं संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक ही 31 दिसम्बर है। इसलिए संशोधित रिटर्न के लिए समय सीमा को 31 मार्च तक बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही वास्तविक भुगतान के आधार पर विलंबित भुगतानों की कटौती से बचने के लिए एमएसएमइ की पहचान करने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान किया जाना चाहिए। राज्य के 26 जिलों में लगने वाले नये उद्योगों के लिए पूर्व में आयकर अधिनियम के तहत तीन से पांच साल के लिए आयकर में मिलने वाली छूट को पुनर्बहाल किया जाना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्रों में 41 इकाइयों को भूमि, आठ को शेड आवंटित

बियाडा ने औद्योगिक क्षेत्रों में 41 इकाइयों को भूमि आवंटित की है। इन इकाइयों को 27.6 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। बियाडा की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। जिन इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है, उसमें अजंता जूते और रेड टेप भी शामिल है। आचार संहिता खत्म होने के बाद 8 जून 2024 को बियाडा की मैराथन बैठक हुई। इसमें भूमि आवंटन और शेड आवंटन के 101 आवेदनों पर विचार किया गया। इसमें से औद्योगिक इकाइयों को 27.6 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इसमें 41 प्रोजेक्ट लगेंगे। आठ इकाइयों को प्ले एंड प्लग योजना के तहत 2.9 लाख वर्गमीटर शेड उपलब्ध कराया गया। इन सभी औद्योगिक इकाइयों के जरिए राज्य में 509 करोड़ रुपये का निवेश होगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव संदीप पौंडरिक, उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित आदि मौजूद रहे।

हरित ऊर्जा से इस्पात उत्पादन को कंपनियाँ आगे आईं : जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए देश में 2070 तक शून्य कार्बन-डाइ-ऑक्साइड का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए देश की दो कंपनियों ने पूर्वी भारत में इस्पात उत्पादन के लिए हरित ऊर्जा का 100 प्रतिशत सहायता लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड ने टाटा पावर रिन्यूएबल्स के साथ

फिक्की के महासचिव के साथ चैम्बर पदाधिकारियों की बैठक

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (FICCI), नई दिल्ली के महासचिव श्री शैलेश कुमार पाठक दिनांक 3 जून 2024 को चैम्बर प्रांगण में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों से मिले।

फिक्की के महासचिव और बिहार चौम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पदाधिकारियों में कई विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन ने श्री शैलेश कुमार पाठक, महासचिव, फिक्की का पुष्पगुच्छ से स्वागत् एवं शॉल तथा चैम्बर का कॉफी टेबुल भेंट कर सम्मानित किया।

साझेदारी की है। इसके तहत जमुरिया, पश्चिम बंगाल में पाँच मेगावाट क्षमता का प्लांट स्थापित किया गया है। इससे कार्बन उत्सर्जन में 1, 20, 110 टन तक की कमी आने का अनुमान है। कंपनी के अध्यक्ष और संस्थापक सीताराम अग्रवाल का कहना है कि यह प्रोजेक्ट स्वच्छ ऊर्जा के प्रति कंपनी के समर्पण को दिखाता है। प्रबंध निदेशक दिलीप अग्रवाल ने कहा कि इस्पात उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके, हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक निर्णायक कदम उठा रहे हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 9.6.24)**

एथनाल कंपनियों को मिले ऋण से सुधरा बिहार का सीडी रेशियो

राज्य की एथनाल नीति से प्रभावित होकर तीन-चार बड़ी कंपनियाँ प्लांट लगाने के लिए बिहार आईं। बैंकों ने उन्हें अपेक्षित मात्रा में ऋण दिया। इस कारण बिहार के साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार हुआ है। राज्य का सीडी रेशियो बढ़कर 58.5 प्रतिशत हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बैंकों ने 2023-24 में बिहार में लगभग साढ़े तीन प्रतिशत अधिक ऋण का वितरण किया। पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों ने 2.50 लाख करोड़ का ऋण दिया था, जो बढ़कर लगभग 2.60 लाख करोड़ हो गया है। इस कारण राज्य का सीडी रेशियों 55.56 प्रतिशत से बढ़कर 58.5 प्रतिशत हो गया है।

राज्य सरकार भी लगातार बैंकों पर सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए दबाव बनाती रहती है। फिर भी यह औसत राष्ट्रीय औसत (76.7 प्रतिशत) की तुलना में कम ही है। कुल 40 में से एकमात्र पूर्णिया का सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। शेष 39 जिलों में यह राष्ट्रीय औसत से कम ही है।

क्या है सीडी रेशियो : रिजर्व बैंक का नियम है कि बैंक जमा राशि की तुलना में 70 प्रतिशत ऋण का वितरण करेंगे। हालांकि, बैंक इस प्रविधान के अनुसार ऋण नहीं देते हैं। सीडी रेशियो बढने का अर्थ है कि बैंक ने ऋण का वितरण बढ़ाया है। ऋण वितरण से व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है।

बिहार का सीडी रेशियो

वित्तीय वर्ष	जमा (करोड़ रु.)	साख (करोड़ रु.)	सीडी अनुपात (% में)
2019-20	3,71,783	1,59,987	43.03
2020-21	3,96,471	1,83,973	46.40
2021-22	4,31,417	2,28,480	52.96
2022-23	4,66,583	2,59,633	55.64
2023-24	5,01,747	2,93,521	58.5

(साभार : दैनिक जागरण, 12.6.2024)

बिजली की नई दर पर कंपनी को आपत्ति, पुनर्विचार याचिका दायर की

बिहार में एक अप्रैल से लागू नई बिजली दर पर कंपनी ने आपत्ति जताई है। उसने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में कंपनी ने कहा है कि आयोग ने नुकसान का अधिक आकलन किया है। इस कारण कंपनी की आय में वृद्धि हो गई है।

अब आयोग कंपनी की इस दलील की आधार पर याचिका पर विचार कर रहा है। अप्रैल में बिजली दर में 3.03 फीसदी वृद्धि के कंपनी के प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने खारिज कर दिया था। आयोग ने बिजली लगभग दो फीसदी सस्ती भी कर दी थी। सस्ती बिजली होने से सभी श्रेणियों की बिजली दर में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी हो गई। दरअसल एक मार्च को

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री से मिला

माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री श्री सम्राट चौधरी को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंटकर अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री श्री सम्राट चौधरी को शॉल भेंटकर सम्मानित करते चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल।

माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री श्री सम्राट चौधरी से विचार-विमर्श करते चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी के नेतृत्व में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधिमंडल दिनांक 15 जून, 2024 को माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री श्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर मिला एवं राज्य के औद्योगिक ईकाइयों के लिए PNG पर लगने वाले VAT की दर को कम करने का अनुरोध किया।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व महामंत्री श्री राजा बाबू गुप्ता एवं श्री ए. के. पी. सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ एवं श्री अजय गुप्ता शामिल थे।

विनियामक आयोग ने नई बिजली दर तय की घोषणा की। लेकिन कंपनी आयोग के फैसले से सहमत नहीं है। कंपनी का कहना है कि आयोग की ओर से कंपनी के नुकसान आकलन में गड़बड़ी हुई है। इससे कंपनी के वास्तविक खर्च का सही तरीके से आकलन नहीं हुआ है। इस आकलन में कंपनी को जितना पैसा खर्च के लिए मिलना चाहिए वह नहीं मिल सका है। कंपनी ने इस तर्क के आधार पर आयोग से फिर से टैरिफ पिटिशन पर विचार करने का आग्रह किया है।

कंपनी की दलील पर आयोग ने कहा है कि वह पुनर्विचार याचिका को सार्वजनिक करे। समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को बताए कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। इसके बाद इस पुनर्विचार याचिका पर आम लोगों से राय भी ली जाएगी। इसके बाद ही आयोग कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर कोई निर्णय लेगा।

बिजली दर

यूनिट	अभी है
ग्रामीण घरेलू	
0-50	2.45
50 से अधिक	2.85
शहरी घरेलू	
0-100	4.12
100 से अधिक	5.52

वर्षवार दर में वृद्धि

2020-21	वृद्धि नहीं
2021-22	10 पैसे की कमी
2022-23	वृद्धि नहीं
2023-24	24.10% वृद्धि (अनुदान के बाद कोई वृद्धि नहीं)
2024-25	0.2% कमी

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.6.2024)

बिहार को केन्द्रीय करों में 14 हजार करोड़ की हिस्सेदारी मिली

बिहार को जून महीने में केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 14,056. 12 करोड़ रुपये मिला है। इससे विकासात्मक कार्य और पूंजीगत कार्यों में तेजी आएगी। केन्द्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपये का कर राजस्व हस्तांतरित करने के लिए आदेश जारी किया।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जून, 2024 के लिए राजस्व राशि का नियमित हस्तांतरण करने के अलावा एक अतिरिक्त किस्त भी जारी की जाएगी।

बयान के मुताबिक, 'चालू महीने में यह राशि संचयी रूप से 1,39,750 करोड़ रुपये है। इससे राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकेंगी'।

किस राज्य को कितनी राशि

उत्तर प्रदेश	25069.88 करोड़	अरुणाचल प्रदेश	2455.44 करोड़
बिहार	14056.12 करोड़	असम	4371.38 करोड़
मध्यप्रदेश	10970.44 करोड़	छत्तीसगढ़	4761.30 करोड़
पश्चिम बंगाल	10513.46 करोड़	गुजरात	4860.56 करोड़
महाराष्ट्र	8828.08 करोड़	झारखण्ड	4621.58 करोड़
आंध्रप्रदेश	5655.72 करोड़		

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चैम्बर में पौधा रोपन

दिनांक 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में चैम्बर के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने पौधा रोपण किया।

फिलहाल केन्द्र सरकार द्वारा जुटाए गए करों का 41 प्रतिशत हिस्सा वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के बीच 14 किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए 12, 19, 783 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस राशि के हस्तांतरण के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10 जून तक राज्यों को कुल 2,79,500 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। बिहार को इसी फार्मूले के अनुसार किस्तों में करो में हिस्सेदारी के रूप में राशि आवंटित की जाती है। सर्वाधिक 25069 करोड़ की राशि उत्तरप्रदेश के लिए जारी की गई है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.6.2024)

चैम्बर द्वारा गैर-आवासीय सम्पत्ति कर में की गयी अप्रत्याशित वृद्धि पर पुनर्विचार करने की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीन नवीन को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि गैर-आवासीय सम्पत्ति कर के वार्षिक किराया में की गयी अप्रत्याशित वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाए।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा गजट अधिसूचना संख्या 10 न०वि०/विविध-07/2021/5509/न०वि०एवं आ०वि० दिनांक 26 सितम्बर 2023 को जारी किया गया है जिसके माध्यम से गैर-आवासीय सम्पत्ति कर के वार्षिक किराया में अप्रत्याशित वृद्धि कर दिया गया है जो व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है।

श्री पटवारी ने बताया कि चैम्बर को लगातार राज्य के विभिन्न भागों के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ-साथ विभिन्न जिला चैम्बर/व्यवसायिक संगठनों से लगातार गैर-आवासीय सम्पत्ति कर में अप्रत्याशित वृद्धि से संबंधित सूचना प्राप्त हो रही है जिसके कारण राज्य के सभी उद्यमी एवं व्यवसायी त्रस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में छोटे-छोटे व्यवसायियों की संख्या काफी अधिक है और वे अपने जीवन-यापन के लिए व्यवसाय में लगे हैं, उन पर इस तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना न्यायोचित नहीं है।

श्री पटवारी ने कहा कि सरकार की ओर से उद्यमियों एवं व्यवसायियों पर पहले से ही कई प्रकार के करों यथा– जीएसटी, पेशाकर, आयकर, ईपीएफओ, ईएसआईसी, प्रदूषण आदि के मद में करों की वसूली की जा रही है, उसके बावजूद गैर-आवासीय सम्पत्ति कर में अप्रत्याशित वृद्धि किया जाना राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों पर एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना है, इससे राज्य के व्यवसायी होत्तोत्साहित होंगे और इसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के राजस्व पर पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि वृद्धि करना बहुत आवश्यक हो तो यह वृद्धि 10 प्रतिशत तक ही किया जाना चाहिए।

बिहार में बैंकों का एनपीए कम होने के बाद भी राष्ट्रीय औसत से अधिक

• 2022 जून में राज्य में बैंकों का एनपीए 11.50 फीसदी था • 905 फीसदी एनपीए जून 2023 में घटकर हो गया • 2023 तक कृषि ऋण मद में 34574 करोड़ आउट स्टैंडिंग था • 42.56 फीसदी करीब एनपीए है केसीसी में • आने वाले दिनों में बैंक ऋण वापस करने के लिए लोगों को जागरूक भी करेगा • एनपीए का राष्ट्रीय औसत पिछले साल तीन फीसदी था, वहीं बिहार में यह 8.57% के करीब है।

बैंक और सरकार की पहल से बिहार में बैंकों का गैर निष्पादन परिसंपत्तियाँ (एनपीए) लगातार कम हो रही है। फिर यहाँ एनपीए राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। एनपीए का राष्ट्रीय औसत पिछले साल करीब तीन फीसदी थी, वहीं बिहार में यह 8.57 फीसदी के करीब है। जून 2022 में राज्य में बैंकों का एनपीए 11.50 फीसदी था, जो जून 2023 में कम होकर 9.05 फीसदी रह गया। यानी एनपीए में करीब दो फीसदी से अधिक कमी आयी है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक एनपीए है। बिहार में यह 21 फीसदी के करीब है, तो राष्ट्रीय आंकड़ा सात फीसदी का है। वहीं, एमएसएमइ सेक्टर में भी एनपीए 9.45 फीसदी के करीब है। एनपीए की वसूली में मदद के लिए बैंकों ने राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह किया है। आने वाले दिनों में बैंक ऋण वापस करने के लिए लोगों को जागरूक भी करेगा।

एनपीए अधिक होने के कारण कृषि क्षेत्र में ऋण देने में बैंक करता है आनाकानी : बैंक बिहार में ऋण देने से परहेज करता है, जबकि यह प्राथमिक सेक्टर में आता है और राज्य सरकार लगातार बैंकों पर ऋण वितरण बढ़ाने का दबाव देती रहती है, लेकिन बैंक बिहार में ऋण देने में 'गो स्लो' की नीति पर काम करते रहता है। अगर बात केवल कृषि ऋण की करें, तो स्थिति और भी खराब है। बिहार में 30 सितम्बर, 2023 तक कृषि ऋण मद में करीब 34574 करोड़ आउट स्टैंडिंग था। किसानों के लिए केश मुहैया करवाने का सबसे सहूलियत साधन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की स्थिति और भी खराब है। केसीसी में करीब 42.56 फीसदी एनपीए है।

बिहार में एनपीए की स्थिति

बैंक	कुल ऋण	कुल एनपीए	एनपीए %
कॉमर्शियल बैंक	221349	14570	6.58
को-ऑपरेटिव बैंक	3447	346	10.03
ग्रामीण बैंक	24670	6954	28.19
स्माल वित्त बैंक	7727	162	2.09
कुल	257193	22032	8.57

(सभी आंकड़ें सितम्बर 2023 तक के हैं और राशि करोड़ में।)

(साभार : प्रभात खबर, 3.6.2024)

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल भारतीय स्टेट बैंक, बिहार सर्किल के नव नियुक्त मुख्य महाप्रबंधक एवं उप प्रबंध निदेशक से मिला

पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री शिव ओम दीक्षित को उप प्रबंध निदेशक के पद पर हुए पदोन्नति के लिए पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंटकर शुभकामनाएं देते चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल।

नव नियुक्त मुख्य महा प्रबंधक श्री के. वी. वंगाराज्जू को पदभार ग्रहण करने पर पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंटकर शुभकामनाएं देते चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी को मेमेंटो भेंटकर सम्मानित करते स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री शिव ओम दीक्षित। साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री शिव ओम दीक्षित एवं नव नियुक्त मुख्य महाप्रबंधक श्री के. वी. वंगाराज्जू से वार्ता करते चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी के नेतृत्व में दिनांक 19 जून, 2024 को भारतीय स्टेट बैंक, बिहार सर्किल के नव नियुक्त मुख्य महाप्रबंधक श्री के. वी. बंगराज्जू एवं पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री शिव ओम दीक्षित, जिनकी पदोन्नति उप प्रबंध निदेशक के पद पर हुई है, से स्थानीय प्रधान कार्यालय, पटना में मिला एवं शुभकामनाएं दी। चैम्बर अध्यक्ष ने नये मुख्य महाप्रबंधक से चैम्बर आने का आग्रह भी किया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता, श्री पवन भगत एवं श्री सुधीर पटवारी शामिल थे।

चैम्बर द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के नये बैच हेतु योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु साक्षात्कार

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में प्रारम्भ होने वाले कम्प्यूटर, सिलाई-कटाई एवं ब्यूटीशियन कोर्स के आगामी बैच के योग्य प्रशिणार्थी अभ्यर्थियों के चयन हेतु दिनांक 5 जून 2024 को प्रशिक्षण केन्द्र में साक्षात्कार हुआ।

अभ्यार्थियों का साक्षात्कार चैम्बर के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, बिहार चैम्बर के स्किल डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रचर एवं फिजियोथेरेपी सब -कमीटी के संयोजक सह पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं आधार महिला स्वावलम्बी सहकारी समिति की समन्वयक डॉ० गीता जैन ने लिया।

45 दिनों का भुगतान चक्र बदला जाए

केन्द्र में नई सरकार के गठन का उद्यमियों और कारोबारियों ने स्वागत किया है। कारोबारियों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 45 दिनों के भुगतान चक्र को बदलने की मांग पर ठोस निर्णय होने की उम्मीद कारोबारी लगाए बैठे हैं। बिहार टैक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान महासचिव रणजीत सिंह कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने बजट 2024-25 में एमएसएमई द्वारा माल का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने के प्रावधान से कारोबारी बहुत परेशान हैं। इस अधिनियम से कपड़ा उद्यमियों को काफी नुकसान हुआ है। वे कहते हैं कि इस नियम के कारण दुकानों में स्टॉक रखना मुश्किल हो गया है। इससे ग्राहकों को नयी रेंज तब तक नहीं मिल पा रही है जब तक पुराना स्टॉक दुकानों से निकल नहीं जाता। नई सरकार के गठन के बाद संगठन के प्रतिनिधि एमएसएमई और केन्द्रीय कपड़ा मंत्री से मिलकर कपड़ा उद्यमियों की चिंताओं और मांगों से अवगत कराएंगे।

क्या है अधिनियम : केन्द्र सरकार ने बजट 2024-25 में एमएसएमई द्वारा माल के भुगतान के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 43 बी एच के तहत एमएसएमई इकाइयों द्वारा आपूर्ति किए गए माल पर 45 दिनों के भीतर भुगतान निश्चित करने का प्रावधान किया है।

कपड़ा उद्योग में सहमति से बढ़ जाती है मुगतान की अवधि : कपड़ा कारोबारी रवि गुप्ता कहते हैं इस कानून के लागू होने के बाद ग्राहक और आपूर्तिकर्ता भुगतान अवधि में लचीलेपन पर दोनों पक्षों की सहमति के बावजूद सामान स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भुगतान चक्र केवल 45 दिनों का है। कपड़ा उद्योग में खरीदार और आपूर्तिकर्ता दोनों द्वारा 90 दिन या इससे अधिक की भुगतान अवधि स्वीकार की जाती है। कारोबारियों को नई सरकार गठन के बाद उम्मीद है कि इस प्रावधान में सुधार किया जाएगा। एमएसएमई यूनिट, थोक व खुदरा दुकानदार पहले की तरह सहमति से उधारी का समय तय कर सकेंगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.6.2024)

उत्पाद विभाग जल्द लाएगा लैब मैन्युअल

जब्त की गई शराब जहरीली या नकली है, जाँच कर इसके पता लगाने की जानकारी सभी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कर्मियों को दी जाएगी। इसकी शुरुआती जानकारी आम लोगों को भी देने की तैयार विभाग कर रहा है।

लैब में उपयोग होने वाली जाँच की विधि और इसके तौर-तरीके के बारे में विधिवत जानकारी एकत्र करके इसका एक मैन्युअल तैयार किया जा रहा है। इस मैन्युअल को उत्पाद विभाग के सभी लैब में दिया जाएगा। साथ ही यहाँ काम करने वाले सभी कर्मियों को इस मैन्युअल के माध्यम से ट्रेनिंग देकर इसे प्रयोग में लाने के लिए कहा जाएगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.6.2024)

परिमार्जन प्लस पोर्टल से पुरानी जमाबंदी में सुधार

राज्य में जमीन संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन डिजिटल व्यवस्था की गई है। पहले से मौजूद वेबसाइट को परिवर्तित कर अधिक उन्नत बनाते हुए 'परिमार्जन प्लस' बना दिया गया है।

इसमें जमाबंदी में मौजूद अशुद्धि या किसी तरह की त्रुटि में तो ऑनलाइन सुधार होगा ही सबसे बड़ी सुविधा होगी की जमाबंदी से जुड़े सभी तरह की समस्याओं का समाधान होने से लंबित जमाबंदी की संख्या में भी कमी आएगी। वर्तमान में मौजूद लाखों की संख्या में लंबित जमाबंदी की संख्या में

चैम्बर उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), बिहार की 88वीं एवं 89वीं (संयुक्त) त्रैमासिक बैठक में शामिल हुए

माननीय उप-मुख्यमंत्री-सह-वित्त, वाणिज्य-कर मंत्री, बिहार श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में दिनांक 14 जून, 2024 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), बिहार की 88वीं एवं 89वीं (संयुक्त) त्रैमासिक बैठक हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर शामिल हुए।

कमी आएगी। इस वेबसाइट का विस्तार हो गया है और जल्द ही यह पूरी तरह से काम करने लगेगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया शुरू की गई है।

नई व्यवस्था में जमाबंदी के डिजिटाइजेशन के दौरान हुई सभी प्रकार की त्रुटियों के समाधान की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों और रैयतों को घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 12.6.24)**

आयुक्त ही दे सकते हैं समय पूर्व वसूली का निर्देश

केन्दीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने तय समय से पहले जीएसटी वसूली को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत केवल प्रधान आयुक्त (प्रिसिंपल कमिश्नर) या आयुक्त डिमांड आर्डर में दिए गए तीन महीने के तय समय से पहले जीएसटी बकाया वसूली को लेकर निर्देश जारी कर सकते हैं। जीएसटी कानून के तहत, यदि कोई कर योग्य व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम के तहत पारित आदेश में राशि का भुगतान ऐसे आदेश की तारीख से तीन महीन के भीतर नहीं करता है तो कर अधिकारी इस अवधि की समाप्ति के बाद ही वसूली कार्यवाही शुरू कर सकता है। सीबीआइसी ने कहा, उसके संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालय तीन महीने की निर्धारित अवधि से पहले ही वसूली शुरू कर रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कानूनों को समान रूप से लागू करना सुनिश्चित हो सकेगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 3.6.2024)

टोल टैक्स में दो से ढाई प्रतिशत तक की बढ़ोतरी

राष्ट्रीय राजमार्ग- 30 पटना-बख्तियारपुर दीदारगंज टोल प्लाजा पर दो जून की आधी रात से बढ़े दर पर वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से यह सूचना जारी की है। यह जानकारी टोल प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि टोल वसूली में दो ढाई प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कहा कि प्रत्येक साल अप्रैल माह में टोल के रेट में बदलाव होता है। इस बार लोकसभा चुनाव की वजह से रेट में इजाफा नहीं किया गया था। दो जून की रात से नया रेट पूरी तरह से लागू हो जाएगा।

बताया कि इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आचार संहिता के कारण एक अप्रैल तक रोक लगी थी। तीन जून से यह पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। नये रेट को लेकर टोल से गुजरने वाले वाहन चालकों से जिच होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दीदारगंज टोल प्लाजा से प्रतिदिन 20 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं।

(साभार : दैनिक भास्कर, 2.6.24)

मैरेज हॉल, रेस्टोरेंट व होटल को लेना होगा एनओसी

शहर के मैरेज हॉल, रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी उद्योग के संचालक को प्रदूषण बोर्ड से एनओसी लेना अनिवार्य हो गया है। बोर्ड के अनुसार एनओसी में प्रदूषण मानक पालन की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा उद्योग को इटीपी (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अपशिष्ट जल का प्रसंस्करण संभव हो सके। संचालक एनओसी के लिए प्रदूषण बोर्ड की साइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही सभी मैरेज हॉल, रेस्टोरेंट या होटल को प्रदूषणकारी यंत्र जैसे-जेनरेटर, साउंड, पानी आदि की जानकारी देना अनिवार्य है। इसके बाद उस उद्योग को तीन श्रेणियों में बांटा जायेगा। एनओसी प्राप्त करने से पहले प्रदूषण बोर्ड की एक टीम मैरेज हॉल, रेस्टोरेंट या होटल में जाँच करने के लिए जायेगी। इन सभी मानकों का पालन करने वाले उद्योग को छह महीने का सीटीइ या पाँच साल का सीटीओ लाइसेंस दिया जायेगा।

शहर के होटल, रेस्टोरेंट व मैरेज हॉल को तीन श्रेणियों में बांटा जायेगा :

लाल श्रेणी लाल श्रेणी में शहर के वैसे होटलों को रखा जायेगा, जो प्रतिदिन 100 किलोलीटर से अधिक प्रदूषित जल निकालते हैं।

आयकर निदेशक (आसूचना) व आपराधिक अन्वेषण कार्यालय, पटना एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में स्पेशिफाइड फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन एवं ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित

आयकर निदेशक (आसूचना व आपराधिक अन्वेषण कार्यालय), पटना एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 27 जून 2024 को स्पेशिफाइड फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन एवं ई-वेरिफिकेशन स्कीम 2021 पर एक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, जीएसटी सब-कमिटी के सह-संयोजक श्री सुनील सराफ, आयकर अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री भाष्कर कुमार एवं पटना आयकर अधिवक्ता संघ के सदस्य काफी संख्या में सम्मिलित थे।

नारंगी श्रेणी इस श्रेणी में शहर के सितारा होटल को शामिल किया जायेगा, जहाँ 20 से अधिके कमरे हो और 100 किलोलीटर से कम प्रदूषित जल की निकासी हो।

हरी श्रेणी इसमें बिना बॉयलर वाले 20 कमरों तक के वैसे होटल जहाँ से 10 किलोलीटर प्रदूषित जल की निकासी होती है। 20 कमरों से कम क्षमता के होटल न्यूनतम 100 वर्गमीटर तक के बैंक्वेट हॉल, न्यूनतम 36 लोगों की क्षमता वाले रेस्टोरेंट आते हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 12.6.2024)

डोसा, इडली मिक्स को सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, देना होगा 18 प्रतिशत जीएसटी

देश में अलग-अलग खाद्य उत्पादों को जीएसटी की अलग-अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसी के आधार पर जीएसटी की दरें तय की गयी हैं। इस मामले में गुजरात में सत्तू और इडली, डोसा व खमन मिक्स पर जीएसटी की दरों से जुड़ा विवाद सरकारी विभाग तक पहुँच गया। दरअसल सत्तू पर जीएसटी की दर पाँच प्रतिशत है और इडली, डोसा व खमन मिक्स पर यह दर 18 प्रतिशत है। इस मुद्दे पर गुजरात अग्रिम निर्णय अपीलीय प्राधिकरण (जीएएआर) ने यह फैसला सुनाया है। प्राधिकरण ने कहा कि इडली, डोसा और खमन बनाने के मिश्रण को सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए, गुजरात स्थित किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने जीएसटी अग्रिम प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ एएएआर से संपर्क किया था।

कंपनी ने कहा था कि उसके सात 'इंस्टेंट आटा मिक्स' तैयार भोजन नहीं है और उन्हें खाना पकाने की कुछ प्राक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कंपनी गोटा, खमन, दालवाड़ा, दही-वड़ा, ढोकला, इडली और डोसा के आटे के मिश्रण को पाउडर के रूप में बेचती है। जीएएएआर ने अपीलकर्ता की दलील को खारिज करते हुए कहा कि 'इंस्टेंट आटा मिक्स' बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री प्रासंगिक जीएसटी नियमों के तहत शामिल नहीं है, जैसा कि सत्तू के मामले में है। सीबीआईसी के परिपत्र के अनुसार सत्तू पर पाँच प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है। **(साभार : प्रभात खबर, 10.6.2024)**

सालेहपुर से राजगीर तक बनेगा फोरलेन

राज्य में बौद्ध सर्किट के महत्वपूर्ण हिस्से में शामिल नालंदा जिला में सालेहपुर से राजगीर एनएच-82 को करीब 28 किमी लंबाई में फोरलेन बनाया जायेगा। यह ग्रीनफील्ड यानी नयी सड़क है। करीब सात सौ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली यह सड़क नूरसराय-अहियापुर-सिलाव से होकर गुजरेगी। इस सड़क को बनाने के लिए निर्माण एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसका निर्माण इसी साल शुरू होने और 2026 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इस सड़क के बनने से राजधानी पटना से राजगीर तक नयी कनेक्टिविटी विकसित हो जायेगी। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 2.6.2024)**

FICCI द्वारा थाइलैंड में भारत के राजदूत के साथ VIRTUAL INTERACTION SESSION के आयोजन में चैम्बर शामिल हुआ

FICCI द्वारा दिनांक 19 जून 2024 को थाईलैंड में भारत के राजदूत श्री नागेश सिंह के साथ Virtual Interaction Session का आयोजन किया गया।

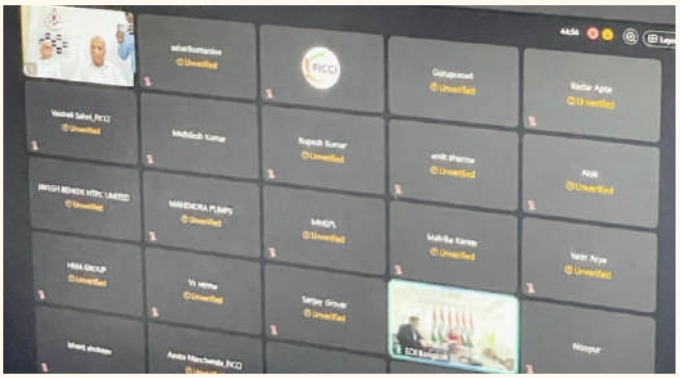

इस Virtual Interaction Session में चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, संयोजक श्री ए. के. पी. सिन्हा एवं वरीय सदस्य श्री प्रमोद शर्मा शामिल हुए।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) की अध्यक्षता में आयोजित इन्टरएक्सन मीटिंग में चैम्बर शामिल हुआ

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) श्री कृष्ण मोहन दीक्षित, भा.रा.से. की अध्यक्षता में दिनांक 13 जून 2024 को एक Interaction Meeting का आयोजन राजस्व भवन स्थित आयकर कार्यालय के सभा कक्ष में हुआ।

उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया, कार्यकारिणी सदस्य श्री सुनील सराफ, श्री आशीष प्रसाद एवं सीए अरूण कुमार सम्मिलित हुए।

विज्ञापन व डिब्बों पर 100 प्रतिशत फलों का जूस होने का दावा हटाने का निर्देश

एफएसएसएआइ ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) से विज्ञापनों के साथ-साथ डिब्बाबंद उत्पादों पर लगे 'लेबल' में 100 प्रतिशत फलों के जूस के दावों को तुरंत हटाने को कहा है। एफएसएसएआइ ने एफबीओ को इसको लेकर निर्देश जारी किया है। सभी एफबीओ को एक सितंबर, 2024 से पहले से छपी पैकेजिंग सामग्रियों को समाप्त करने का भी निर्देश दिया गया है।

नियामक ने कहा, यह संज्ञान में आया है कि कई एफबीओ विभिन्न प्रकार के फलों के जूस को शत-प्रतिशत फलों का जूस का दावा करके गलत तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। गहन जाँच के बाद निष्कर्ष निकला है कि सौ प्रतिशत फलों का जूस का दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(साभार : प्रभात खबर, 4.6.2024)

सूबे का पहला छह लेन पुल इसी साल दिसम्बर में होगा चालू

• मोकामा से बेगूसराय के बीच बन रहा है 1.86 किमी लंबा पुल • पुल के अलावा एप्रोच का कुछ हिस्सा होगा छह लेन, बाकी फोरलेन होगा • पटना जिला के औंटा और बेगूसराय के सिमरिया में बनना है गोलंबर • अभी राजेन्द्र सेतु पार करने में लोगों के छूटते हैं पसीने

बिहार के पहले छह लेन पुल से दिसम्बर में गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। मोकामा के औंटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने के लिए गंगा पर 1.86 किमी लंबे पुल का निर्माण हो रहा है। इसका काम 90% पूरा हो गया है।

पुल के दोनों तरफ 3015 मीटर लंबे छह लेन और 3275 मीटर लंबे चार लेन एप्रोच का निर्माण किया जा रहा है। एप्रोच में एक रेलवे ओवरब्रिज और दो रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है। रेलवे ओवरब्रिज में जल्द ही स्टील गर्डर लगाया जाएगा। एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक पुल और एप्रोच के अलावा रास्ते में पड़नेवाले आरओबी और आयूबी का 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। दिसम्बर तक इसे चालू कर दिया जाएगा। पटना के मोकामा स्थित औटा से बेगूसराय जिला के सिमरिया तक पुल सहित ग्रीन फील्ड सड़क का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसके दोनों छोर पर गोलंबर भी बन रहा है। मोकामा होते हुए बेगूसराय जाने के दौरान औंटा गोलबर से सड़क चार लेन की होगी। आगे जाने के बाद छह लेन के रेलवे अंडरब्रिज पार करते हुए गंगा पर बने पुल पर पहुँच जाएँगे। कुछ दूरी तक छह लेन सड़क मिलेगी।

दक्षिण और उत्तर बिहार के आवागमन में होगी सुविधा :

मोकामा से बेगूसराय जाने के लिए वर्तमान में लोग दो लेन वाले राजेन्द्र सेतु का इस्तेमाल करते हैं। इसके एक लाइन पर ज्यादातर समय जीर्णोद्धार का काम चलता है। इस कारण एक लेन से ही गड़ियों का आवागमन होता

टाउन वेंडिंग कमीटी की बैठक में चैम्बर के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए

श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से., नगर आयुक्त, पटना नगर निगम की अध्यक्षता में दिनांक 24 जून 2024 को Town Vending Committee (TVC) की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में चैम्बर की ओर से महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन सम्मिलित हुए।

है। पुल के दोनों छोरों पर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। इसके बाद वाहनों को अलग-अलग समय में पार कराया जाता है। कभी-कभार तो एक से दो घंटे का समय लग जाता है, सिक्स लेन पुल चालू होने के बाद लोग मिनटों में ही गंगा नदी पार कर लेंगे। उत्तर और दक्षिण बिहार का सपर्क सुलभ हो जाएगा। ब्रिज पर 13-13 मीटर चौड़ी दोनों ओर तीन-तीन लेन की सड़क रहेगी। जबकि ब्रिज के दोनों साइड डेढ़ मीटर चौड़ा फुटपाथ बन रहा है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.6.24)**

सेटेलाइट से सीधे कटेगा टोल, ट्रायल रहा सफल

• 05 से 07 मिनट तक अभी लगता है टोल प्लाजा पर • नई व्यवस्था के बाद समय घटकर डेढ़ मिनट हो जाएगा • सभी गाड़ियों में जीपीएस को किया जाएगा अनिवार्य • सुरक्षा के लिहाज से अधुनिक होगी नई टोल वसूली व्यवस्था • वाहन को पाँच से सात मिनट में किया जा सकेगा ट्रेस

देशभर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जल्द सेटेलाइट आधारित टोल वसूली शुरू होगी। एनएचएआई की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे समेत कई सड़कों पर किए गए शुरूआती ट्रायल सफल रहे हैं, जिसके बाद इसे देश भर में लागू करने का फैसला लिया गया है।

नई व्यवस्था के बाद टोल प्लाजा पर लगने वाला समय बचेगा। इसके बाद टोल प्लाजा से बेरियर हटा दिए जाएँगे। एनएचआई अधिकारी बताते हैं कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) के जरिए टोल वसूली में गाड़ियों को दो तरह से ट्रैक किया जा सकेगा। पहला, जीपीएस, के जरिए गाड़ी को ट्रैक करके टोल काटा जाएगा। दूसरे, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के जरिए। इन दोनों तरीकों से दूरी के हिसाब से टोल काट लिया जाएगा। इसके लिए टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले और बाद में सेंसर लगाएंगे जो नंबर प्लेट से बाहत का पता लगाएगा कि कौन से वाहन कहाँ से एक्सप्रेसवे या एनएच पर चढ़ा और किस जगह बाहर निकला।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.6.2024)

गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर नये पुल का निर्माण अगले महीने से

राजधानी में गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर वर्तमान पुल से करीब 180 मीटर पश्चिम में नये एक्स्ट्रा डोज केबल सिक्सलेन पुल का निर्माण अगले महीने तक शुरू हो जायेगा। इस संबंध में निर्माण से संबंधित सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कर चयनित निर्माण एजेंसी को हरी झंडी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छह मार्च 2024 को इस पुल का शिलान्यास किया था। ऐसे में इस पुल पर 2027 में आवागमन शुरू होने की संभावना है। पटना की तरफ पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए कुल चार एप्रोच रोड बनाये जायेंगे। इन चारों लूप की लंबाई करीब तीन किमी होगी। इससे सड़क हादसों की संभावना बहुत कम हो जायेगी। इस पुल में रोटरी नहीं बनेगी।

सूत्रों के अनुसार इसमें अलग-अलग एप्रोच रोड बनेगा जो सीधा पाटलि पथ और जेपी गंगा पथ को कनेक्ट करेगा। पाटलि पथ से पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए अलग-अलग एप्रोच रोड बनेगा। साथ ही जेपी गंगा पथ से नये पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए अलग-अलग एप्रोच रोड बनेगा। वहीं इस नये पुल का सोनपुर की तरफ जाने वाला हिस्सा वर्तमान पुल से पश्चिम की तरफ करीब 180 मीटर की दूरी पर बने बांध को कनेक्ट करेगा। वहाँ करीब सात सौ मीटर लंबाई में एप्रोच रोड बनेगा। सोनपुर की तरफ वर्तमान सड़क दो लेन चौड़ी है। इसकी चौड़ाई बढ़ाकर फोरलेन की जायेगी।

कुछ साल में गंगा नदी पर हो जायेंगे 18 पुल : राज्य में गंगा नदी पर फिलहाल सात पुल हैं। अगले कुछ साल में करीब 11 पुल और बनने से गंगा नदी पर पुलों की संख्या 18 हो जायेगी। इसमें फिलहाल केवल पटना जिला में गंगा नदी पर तीन पुल हैं। कुछ साल में पटना जिला में गंगा नदी पर नौ पुल हो जायेंगे। अभी गंगा नदी पर बक्सर पुल, आरा-छपरा, जेपी सेतु महात्मा गाँधी सेतु, राजेन्द्र सेतु, मुंगेर पुल और विक्रमशिला सेतु है। **(साभार : प्रभात खबर, 1.6.2024)**

रक्सौल-हल्दिया व गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे को मंजूरी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत -माला श्रृंखला-2 के तहत बिहार से जुड़े दो एक्सप्रेस -वे, क्रमश: गोरखपुर-सिलीगुड़ी और रक्सौल -हल्दिया एक्सप्रेस-वे को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की यह बिहार के लिए डबल सौगात है। रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के तहत बिहार में 367 किमी सड़क का निर्माण होगा, जबकि गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे के तहत राज्य में 416 किमी सड़क का निर्माण कराया जाना है।

पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इसके पूर्व भारत माला श्रृंखला-2 के तहत वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेस-वे को अपनी स्वीकृति

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) एवं निदेशक परिषद् (Board of Director) की बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष सम्मिलित हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) एवं निदेशक परिषद् (Board of Director) की बैठक दिनांक 7 जून 2024 को श्री संदीप पौंडरिक, भा०प्र० से०, अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में आयोजित हुई।

इस बैठक में श्री पंकज दीक्षित, भा०प्र० से० उद्योग विभाग, बिहार सरकार भी उपस्थित थे। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

प्रदान की थी। इसके तहत 170 किमी सड़क बिहार से गुजरने वाली है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक पाँच पैकेज में लगभग 5241 करोड़ रुपये की लागत से 136 किमी सड़क निर्माण की निविदा हो चुकी है। रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका जिले से गुजरते हुए झारखण्ड के रास्ते हल्दिया पहुँचेगा। वहीं, गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिले से गुजरेगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.6.2024)**

मेट्रो : पटना विवि और गाँधी मैदान के बीच बनने लगी 2.3 किमी लंबी सुरंग

कॉरिडोर	एलिवेटेड	अंडरग्राउंड	कुल लंबाई
कॉरिडोर वन	7.39	10.54	17.93
कॉरिडोर टू	6.63	7.92	14.55

अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए गाँधी मैदान से आकाशवाणी के बीच सुरंग निर्माण का कार्य चल रहा है। इस बीच, पटना विवि से गाँधी मैदान के बीच 2.3 किमी लंबी सुरंग की खुदाई शुरू हो गई। मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक अत्याधुनिक कंप्यूटरीकृत नेविगेशन प्रणाली से लैस टीबीएम-1 प्रतिदिन औसतन 10 मीटर खुदाई करेगी। इन दोनों सुरंग का निर्माण पूरा होने के बाद मोइनुल हक स्टेडियम से राजेन्द्रनगर और आकाशवाणी से पटना जंक्शन के बीच सुरंग बनेगी।

इसके साथ ही 7.92 किमी लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा होगा। कॉरिडोर टू में मेट्रो की कुल लंबाई 14.55 किमी है। इसमें 6.63 किमी एलिवेटेड और 7.92 किमी अंडरग्राउंड है। इसमें अबतक मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विवि के बीच 1.5 किमी अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वहीं, मलाही पकड़ी से मेट्रो डिपो के बीच 6.63 किमी एलिवेटेड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। **(दैनिक भास्कर, 12.6.2024)**

टर्मिनल स्टेशन बनाने को मिले 80 करोड़

हार्डिंग पार्क डीपीआर तैयार, 85 जोड़ी मेमू ट्रेनों का होगा परिचालन

पटना जंक्शन से मेमू व पैसेंजर ट्रेनों से सफर करने वाले लोकल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब एक ओर जहाँ इन ट्रेनों की लेटलतीफी से छुटकारा मिलेगा, वहीं यात्रियों को एक जगह से ही ट्रेन से आवागमन की सुविधा मिलेगी। दरअसल पटना में अब जल्द ही एक और रेलवे (हार्डिंग पार्क रेलवे स्टेशन) बनने जा रहा है। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे को 80 करोड़ रुपये का आवंटन रेलवे बोर्ड की ओर से कर दिया गया है। इसकी डीपीआर लगभग तैयार कर ली गयी है। जानकारों की मानें तो डीपीआर के बाद अब टेंडर जारी होगा फिर अब एक महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा। करीब 4.8 एकड़ में इसका निर्माण कार्य कराया जायेगा।

हार्डिंग पार्क स्टेशन से इन जगहों के लिए खुलेंगी ट्रेनें : हार्डिंग पार्क स्टेशन से पटना-बक्सर, पटना-इस्लामपुर, पटना-बख्तियारपुर-तिलैया, पटना-किउल, पटना-झाझा, पटना-राजगीर, पटना-हाजीपुर, पटना-बरौनी, पटना-मुजफ्फरपुर, पटना-छपरा, पटना-रक्सौल, पटना-जयनगर आदि शहरों के लिए लगभग 85 से अधिक पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा। केवल पटना-गया रेलखंड का परिचालन इस स्टेशन से नहीं किया जायेगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 7.6.2024)**

पाटलिपुत्रा में बनेगा वंदे भारत ट्रेनों के लिए कोचिंग काम्प्लेक्स

पूर्व मध्य रेलवे की ओर से राजधानी के पाटलिपुत्र जंक्शन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों के रख-रखाव के लिए कोचिंग काम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पटना-हावड़ा पटना-राँची, पटना-गोमतीनगर एवं न्यूजलपाईगुड़ी-पटना के बीच चार वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। पटना से चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेनों के बेहतर रख-रखाव के मद्देनजर कोचिंग काम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को रेलवे बोर्ड की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है। कोचिंग काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कोचिंग काम्प्लेक्स में 630 मीटर लंबी वाशिंग पिट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा शेड का भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बनने वाली सभी लाइनों को ओवरहेड तार से युक्त किया जाएगा। यहाँ पर हेवी रिपेयर शेड एवं बोगी रिपेयर शेड का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर दस वंदे भारत ट्रेनों के रख-रखाव की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में 20 करोड़ की लागत से राजेन्द्रनगर में बने कोचिंग काम्प्लेक्स को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके तहत वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन के रेक के अनुकूल लाइन नंबर एक एवं पाँच के प्लेटफार्म का उच्चीकरण किया गया है। वंदे भारत ट्रेनों के रख-रखाव के लिए लोको पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही वंदे भारत ट्रेनों के रेकों के रखरखाव के लिए उपकरण भंडारण के लिए विशेष स्टोर रूम का निर्माण किया जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 4.6.2024)

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू होने के एक साल बाद भी पहल नहीं

ई-कचरा प्रबंधन का नया नियम एक अप्रैल 2023 को देश भर में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लागू किया, लोग नहीं कर पाते कचरे का निपटारा

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम- 2022 को लागू हुए एक साल पूरे हो गए। पिछले एक वर्ष में नये नियम के तहत ई-कचरा प्रबंधन की दिशा में अब तक कोई गंभीर पहल नहीं हो पायी है। लोग अपने घर से ई-कचरा हटाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ई-कचरा प्रबंधन का नया नियम एक अप्रैल 2023 को देश भर में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लागू किया है पर ठोस पहल नहीं होने से हालात ज्यों के त्यों हैं।

नया नियम सभी बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े विनिर्माता, उत्पादक, भंजक (डिसमेंटलर) और रिसाइक्लर पर लागू किया गया है। इन सभी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से पंजीकृत कराना होगा। ये सभी बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण, बिक्री, ट्रांसफर, खरीद, नवीनीकरण और रिसाइकिलिंग का कारोबार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं की ओर से प्राधिकृत संस्थाओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में पंजीकृत कराना होगा। बिहार से करो संभव नामक जिस संस्था ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण कराया है उसकी संग्रह करने की क्षमता अभी बहुत कम है।

ई-कचरा का नया डाटा जुटा नहीं पाया बोर्ड : नये नियम के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को कई जिम्मेवारी दी गई है। इनमें सूबे में सरकारी-निजी कार्यालयों, संस्थाओं और घरों में ई- कचरा कितना जमा है, इसकी जानकरी होनी चाहिए। इसके लिए बोर्ड को नये सिरे से सर्वे कराना होगा जो नियम के लागू होने के एक साल बाद भी नहीं हो पाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास ई-कचरा से संबंधित अद्यतन आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 2013 में पहली बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूबे के पाँच शहरों में ई-कचरा का आकलन करने के लिए सर्वे किया था। प्रदषण नियंत्रण बोर्ड ने दोबारा सर्वे नहीं कराया है।

बड़े उपभोक्ताओं पर नजर : शहर के बड़े उपभोक्ताओं पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निगरानी की जानी है। ये वैसे उपभोक्ता होंगे जो एक वितिय वर्ष में न्यूनतम 1000 इलेक्ट्रोंनिक (यूनिट) उपकरणों का उपयोग करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को अपने यहाँ का ई-कचरा पंजीकृत संस्थाओं या उत्पादकों को ही सौंपना है। ई-कचरा को वाहन के माध्यम से परिवहन के दौरान दुर्घटना होती है तो इसकी सूचना संबंधित संस्था या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 10.6.24)**

दो दशक बाद मोबाइल नंबर प्रणाली में होने वाला है बड़ा बदलाव

भारत की राष्ट्रीय नंबरिंग योजना में 2003 में बदलाव किया गया था जब 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए 75 करोड़ नंबर आवंटित किए गए थे। अब ट्राई द्वारा इन नंबरों की समीक्षा की जा रही है। पिछले हफ्ते इसने एक परामर्श पत्र जारी किया था। इसमें भारत में बढ़ रहे मोबाइल ग्राहकों की संख्या को देखते हुए संशोधन करने की बात कही गई है। बढ़ रहे ग्राहकों और 5जी नेटवर्क के विस्तार को देखते हुए नियामक ने इसमें बदलाव करने का फैसला किया है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.6.2024)

आटा महंगा होगा, गेहूँ, भंडार 16 साल में सबसे कम, विदेश से मंगाना पड़ेगा

गेहूँ एक साल में 8% महँगा हुआ है। पिछले 15 दिन में ही कीमतें 7% बढ़ चुकी हैं, जो अगले 15 दिन में 7% और बढ़ सकती हैं। दरअसल, गेहूँ के सरकारी भंडारों में हर वक्त तीन महीने का स्टॉक (138 लाख टन) होना चाहिए। मगर इस बार खरीद सत्र शुरू होने से पहले यह सिर्फ 75 लाख टन था। इससे पहले 2007-08 में 58 लाख टन रहा था यानी अभी यह 16 साल के न्यूनतम स्तर पर है। 2023 में यह 84 लाख टन, 2022 में 180 लाख टन और 2021 में 280 लाख टन स्टॉक था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में गेहूँ का सरकारी स्टॉक घटता जा रहा है। हालांकि, सरकार अभी तक कुल 264 लाख टन गेहूँ खरीद चुकी है, लेकिन सरकारी लक्ष्य 372 लाख टन का है। खरीद का समय भी 22 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन खरीद केन्द्रों में नगण्य गेहूँ ही आ रहा है। ऐसे में 'मुफ्त अनाज योजना', बीपीएल की जरूरतें पूरी करने के लिए तत्काल गेहूँ का आयात करना पड़ सकता है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 12.6.2024)**

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

माल और सेवा कर अधिनियम (GST) के अन्तर्गत निर्बंधित शून्य सव्यवहार वाले करदाता SMS के द्वारा भी GSTR-1 विवरणी दाखिल कर सकते हैं।

- SMS के द्वारा GSTR-1 विवरणी दाखिल करने के लिए Registered Mobile Number का ही उपयोग करें।
- इसके लिए NIL R1 लिखकर अपना GSTIN लिखें फिर महीने की संख्या और वर्ष डालकर 14409 पर SMS कर दें। जैसे- यदि किसी का GSTIN- 10ABCDE1234Z1Z2 है और उन्हें मई 2024 का GSTR-1 दाखिल करना है तो SMS इस प्रकार लिखेंगे- NIL R1 10ABCDE1234Z1Z2052024
- GSTR- 1 दाखिल हुआ है या नहीं इसके confirmation के लिए CNF R1 एवं Code (OTP) डालकर पुन: 14409 पर SMS कर दें। जैसे यदि किसी का Code (OTP) 123456 है तो SMS इस प्रकार लिखेंगे- CNF R1 123456
- इसके बाद Confirmation Message के साथ ARN (Acknowledgement Reference Number) प्राप्त होगा।
- GSTR-1 दाखिल करने में आने वाली समस्या के समाधान हेतु विभागीय हेल्पडेस्क या स्थानीय विभागीय कार्यालय में कार्यरत facilitation Centre से सम्पर्क करें।
- Helpdesk Nos. 0612-2233512, 2233513, 2233514, 2233515, 2233516

कृपया ध्यान रखें

- सामान्य निर्बंधित करदाता प्रत्येक महीने के लिए अगले महीने की 11 तारीख तक तथा QRMP करदाता त्रैमास की समाप्ति के बाद वाले महीने की 13 तारीख तक GSTR-1 दाखिल करना सुनिश्चित करें।
- नियत समय पर GSTR-1 दाखिल करना आपका वैधानिक दायित्व है, जिसका उल्लंघन विधिक कार्रवाई को आकृष्ट करता है।

राज्य-कर आयुक्त-सह सचिव
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना
(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 10.6.2024)

रेलवे के डाटा विश्लेषण के लिए नए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ

पूर्व मध्य रेलवे की ओर से डेटा विश्लेषण के लिए हाजीपुर में कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस सेंटर पर पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों, स्टेशनों, साइडिंग, लोडिंग प्वाइंट, इंजन लाबी एवं इंजन शेड के बारे में आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा। इससे इंजन के प्रबंधन एवं संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में भी मदद मिलेगी। इस सेंटर को पूरी तरह से डिजिटल किया गया है।

केन्द्र के उद्घाटन के मौके पर पूर्व मध्य रेलवे के सांख्यिकी विभाग के प्रधान वित्तीय सलाहकार छवि झा एवं उप सांख्यिकी एवं विश्लेषण अधिकारी शील आशीष सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया।

(साभार : दैनिक जागरण, 4.6.2024)

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296